राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–20/2015 2058
प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक– 6.5.24

विषय :– बन्दरा प्रखंड के प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।
प्रसंग:– आयोग का पत्रांक 1174 दिनांक 09.03.2024 एवं आपका पत्रांक 1148 दिनांक 13.04.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा **बन्दरा प्रखंड के प्रमुख** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना नोटिस में कारण/आरोप अंकित नहीं रहने के बिन्दु पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44 (iv) के आलोक में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत् वैधानिक परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव भेजने हेतु निदेश दिया गया था।

विदित हो कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 में वैधानिक परीक्षण करने की शक्ति जिला पदाधिकारी में निहित है। परन्तु संदर्भित मामले में निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर द्वार उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन को मात्र संलग्न कर आयोग को प्रेषित किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि संदर्भित विषय में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत् वैधानिक परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

06/5/24

सचिव।

22.4.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847. E-mail: secbihar@gmail.com